न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 51 / 2024

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नावां

बनाम

अप्रार्थी :– बिरदाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी–सरगोठ तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : –

वादी– राजपैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा उपस्थित

दिनांक : 31/07/24

– : : निर्णय : : –

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि राजपैरोकार ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में राजस्व वाद अधीन धारा 177 आर.टी.एक्ट का पेश किया है। जिसमें वर्णित ग्राम जाबदीनगर पटवार मण्डल जाबदीनगर भू.अ. निरीक्षक नावां तहसील नावां के वर्तमान खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हक्टयर किस्म चाही–3, जाव–3 प्रतिवादी की खातेदारी में आयी हुई है, जो कृषि प्रयोजनार्थ है। प्रतिवादी द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का उपभोग बिना किसी समक्ष प्राधिकारी की वैध अनुमति एवं स्वीकृति के मौके पर कृषि भूमि का नुक्शान पहुचाते हुये अकृषि प्रयोजनार्थ जाकर नमक उत्पादन के काम मे ली जा रही है, जिससे कृषि भूमि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त किये गये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना अवैध नमक उत्पादन हेतु खारड़ा बनाने के माध्यम से कृषि भूमि का दुरूपयोग कर कृषि भूमि की उर्वरकता को नष्ट हो रही है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद मौजा जाबदीनगर पटवार हल्का जाबदीनगर तहसील नावां के खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हैक्ट. समपूर्ण भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा कार्यवाही की जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी का अन्यत्र बैचान हस्तान्तरण [illegible] व्यय नहीं करे तथा कृषि भूमि का अकृषि हेतु उपयोग नहीं कर[illegible] उक्त आराजी [illegible] प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे एवं विवादित आरा[illegible] और गैर कृषि प्र[illegible]र्थ दौराने वाद उपभोग नहीं करे इसलिए अप्रार्थी को जा[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी बिरदाराम की और से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने वकालत नामा मय जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2024 को पेश किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अभिकथन किया कि वाद पत्र के पैरा में वर्णित तथ्य राजस्व ग्राम जाबदीनगर के वर्तमान खसरा नं. 165 रकबा 1.2500 हैक्टेयर किस्म चाही-3 अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज अवश्य है, किन्तु उक्त भूमि का प्रयोजन कृषि नही होकर कार्यालय तहसीलदार (विहित प्राधिकारी) नावां कके संपरिवर्तन आदेशांक : 9596 दिनांक 02.05.1996 से नमक उत्पादन हेतु तत्कालीन खातेदार गोपीराम/भंवरलाल, जाट निवासी जाबदीनगर तहसील नावां के पक्ष में संपरिवर्तन की हुई है। और खातेदार गोपीलराम ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि जरिये उप पंजीयक कार्यालय नावां के रजिस्टर्ड बैचाननामा दजस्तावेज क्रमांक : 2008000336 दिनांक 27.02.2008 से अप्रार्थी/प्रतिवादी बिरदाराम को बैचान किया है। जिसका अंकन राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से राजस्व जमाबंदी में अंकन सही नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा नमक उत्पादन हेतु संपरिवर्तन किया हुआ है। जिसके साक्ष्य स्वरूप संपरिवर्तित आदेश व बैचाननामा की प्रतियां संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र कानूनन काबिले खारिज है।

उभय पक्षकारान् को उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाब पत्र व साक्ष्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई। चूंकि राजपैरोकार/वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा को स्वीकार किया जा चुका है, तथा प्रार्थना पत्र हाजा से संबंधित मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। मूल वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उभय पक्ष के निवेदन पर मिसल वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल राजस्व वाद संख्या 51/2024 अनुवान सरकार बनाम बिरदाराम अधीन धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तािा प्रार्थना पत्र हाजा खारिज किया जाना तथा प्रार्थना पत्र हाजा में दिनांक 05.02.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण हाजा में दिनांक 05.02.2024 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.14 14:41:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)